

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 21, शुक्रवार, शके 1947- सितम्बर 12, 2025 <i>Bhadra 21, Friday, Saka 1947- September 12, 2025</i>	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2025

संख्या एफ.10(न.पा.) (गठन) डीएलबी/23/1436 :- विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत वल्लभनगर (जिला उदयपुर) को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	उदयपुर	वल्लभनगर	ग्राम पंचायत वल्लभनगर की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम (वल्लभनगर, भानामगरा, उदाखेडा, कालीपहाडी, गुमानपुरा) के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए । (जनसंख्या - 11,043) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वल्लभनगर के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनसंख्या -11,043) सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वल्लभनगर के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचो को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव